









Council of Min. SAFALTA CLASS An Initiative by SHARZ SAFINITION

The President can be removed from office by a process of impeachment for 'violation of the Constitution'.

However, the Constitution does not define the meaning of the phrase 'violation of the Constitution'.

संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है।

हालांकि, संविधान में संविधान के उल्लंघन के वाक्यांश के अर्थ को परिभाषित नहीं किया गया है।



SAFALTA CLASS<sup>TM</sup>
An Initiative by **31473531611** 

1

 A written notice signed by more than 1/4th of the total number of members of the House(any) is submitted. Once it is received, after 14days a Resolution is moved.

2

 The Resolution is passed by majority i.e. more than 2/3<sup>rd</sup> of the total members of the House.

0,008

3 & 4

- The charge is sent to the other house for investigation.
   President needs to be present for the investigation.
- After the investigation, if the charge is proved right and passed by 2/3<sup>rd</sup> of the total members of the house (which investigated) then the President is removed.



# In this context, two things should be noted:

- (a) the nominated members of either House of Parliament can participate in the impeachment of the President though they do not participate in his election;
- (b) the elected members of the legislative assemblies of states and the Union Territories of Delhi and Puducherry do not participate in the impeachment of the President though they participate in his election.



इस संदर्भ में, दो बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

- (क) संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं यद्यपि वे अपने चुनाव में भाग नहीं लेते हैं;
- (ख) राज्यों और दिल्ली और पुड़चेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं यद्यपि वे उनके चुनाव में भाग लेते हैं।





Vacancy in the President's Office


A vacancy in the President's office can occur in any of the following ways:

- 1. On the expiry of his tenure of five years.
- 2. By his resignation.
- 3. On his removal by the process of impeachment.



राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्ति राष्ट्रपति कार्यालय में एक रिक्ति निम्नलिखित तरीकों में से किसी में हो सकती है:

- 1. पांच साल का उनका कार्यकाल समाप्त होने पर।
- 2. उनके इस्तीफे से ।
- 3. महाभियोग की प्रक्रिया से उन्हें हटाने पर ।



Disputes

Presi elec.



4. उसकी मृत्यु से। (अब तक दो राष्ट्रपतियों डॉ जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरीन हो चुकी है।

5. अन्यथा, उदाहरण के लिए, जब वह पद धारण करने के लिए अयोग्य हो जाता है या जब उसका चुनाव शून्य घोषित हो जाता है।



If the office falls vacant by resignation, removal, death or otherwise, then election to fill the vacancy should be held within six months from the date of the occurrence of such a vacancy.

यदि पद त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु या अन्यथा से खाली हो जाता है, तो सिक्त को भरमे के लिए चुनाव ऐसी रिक्ति की घटना की तारीख से छह महीने के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए।



When the sitting President is unable to discharge his functions due to absence, illness or any other cause, the Vice-President discharges his functions until the President resumes his office.

जब वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होते हैं, तो उपराष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन तब तक करते हैं जब तक कि राष्ट्रपति अपना पद शुरू नहीं कर लेते ।



In case the office of Vice-President is vacant, the Chief Justice of India (or if his office is also vacant, the seniormost judge of the Supreme Court available) acts as the President or discharges the functions of the President.

यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश (या यदि उनका पद भी रिक्त है, तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश उपलब्ध हैं) राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं।



For example, when President Dr Zakir Hussain died in May, 1969, the then Vice-President, VV Giri was acting as the President. Soon after VV Giri resigned to contest the election of the President.

Then the Chief Justice of India, M Hidayatullah worked as the officiating President from 20 July, 1969 to 24 August, 1969.





उदाहरण के लिए, जब मई, 1969 में राष्ट्रपति डॉ जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, तब तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरि राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे थे।

इसके तुरंत बाद वीवी गिरि ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया ।

तब भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई, 1969 से 24 अगस्त, 1969 तक स्थानापन्न राष्ट्रपति के रूप में काम किया।







The executive powers and functions of the President are:

1. All executive actions of the Government of India are formally taken in his name.

कार्यकारी शक्तियां

राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां और कार्य हैं:

1. भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से उनके नाम पर किए जाते हैं।



- 2.He appoints the prime minister and the other ministers. They hold office during his pleasure.
- 3.He appoints the attorney general of India and determines his remuneration.
- The attorney general holds office during the pleasure of the President.
- 2. वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं । वे अपनी खुशी के दौरान पद धारण करते हैं ।
- 3. वह भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है और उसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति की खुशी के दौरान पद धारण करते हैं।



4.He appoints the comptroller and auditor general of India, the chief election commissioner and other election commissioners, the chairman and members of the Union Public Service Commission, the governors of states, the chairman and members of finance commission, and so on.

4. वह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव ओयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्यों के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है।



- 5.He can appoint a commission to investigate into the conditions of SCs, STs and other backward classes.
- 6.He can appoint an inter-state council to promote Centre-state and inter-state cooperation.
- 5. वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गीं की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं।
- 6. वह केंद्र-राज्य और अंतरराज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद नियुक्त कर सकता है।



- 7. He directly administers the union territories through administrators appointed by him.
- 8.He can declare any area as scheduled area and has powers with respect to the administration of scheduled areas and tribal areas.
- 7. वह सीधे अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का संचालन करता है।
- 8. वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में शक्तियां हैं।





1.He can summon or prorogue the Parliament and dissolve the Lok Sabha.

He can also summon a joint sitting of both the Houses of Parliament, which is presided over by the Speaker of the Lok Sabha.



# विधायी शक्तियां

1. वह संसद को बुला सकता है या उसका प्रस्ताव कर सकता है और लोकसभा को भंग कर सकता है।

वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।



- 2. He can address the Parliament at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year.
- 3. He nominates 12 members of the Rajya Sabha from amongst persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art and social service.



2. वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में संसद को संबोधित कर सकते हैं और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र ।

3. वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनौनीत करता है।





The financial powers and functions of the President are:

- 1. Money bills can be introduced in the Parliament only with his prior recommendation.
- 2.He causes to be laid before the Parliament the annual financial statement (ie, the Union Budget).



राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां और कार्य हैं:

- 1. धन विधेयकों को संसद में केवल उनकी पूर्व सिफारिश के साथ पेश किया जा सकता है।
- 2. वह संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण (यानी, केंद्रीय बजट) प्रस्त्त करने का कारण बनता है।



- 3.He can make advances out of the contingency fund of India to meet any unforeseen expenditure.
- 4.He constitutes a finance commission after every five years to recommend the distribution of revenues between the Centre and the states.
- 3. वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत के आकस्मिक निधि से अग्रिम कर सकता है।
- 4. वह केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश करने के लिए हर पांच साल के बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है।



# **Judicial Powers**

- 1.He appoints the Chief Justice and the judges of Supreme Court and high courts.
- 2. He can seek advice from the Supreme Court on any question of law or fact.
- However, the advice tendered by the Supreme Court is not binding on the President.



## न्यायिक शक्तियां

- 1. वह मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।
- 2. वह कानून या तथ्य के किसी भी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं।
- हालांकि, उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है ।



- 3.He can grant pardon, reprieve, respite and remission of punishment, or suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence.
- 3. वह किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति की सजा को क्षमा, राहत, राहत और छूट, या निलंबित, परिहार या लघुकरण कर सकता है।



### **Diplomatic Powers**

The international treaties and agreements are negotiated and concluded on behalf of the President.

राजनियक शक्तियां राष्ट्रपति की ओर से अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौतों पर बातचीत और निष्कर्ष निकाला जाता है।



### **Military Powers**

He is the supreme commander of the defence forces of India.

In that capacity, he appoints the chiefs of the Army, the Navy and the Air Force. He can declare war or conclude peace, subject to the approval of the Parliament.



सैन्य शक्तियां वह भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। उस हैसियत से वह सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह यह की घोषणा कर सकता है या संसद के अनुसोदन के अ

वह युद्ध की घोषणा कर सकता है या संसद के अनुमोदन के अध लिए शांति समाप्त कर सकता है ।



# National Emergency in India



#### **Emergency Powers**

In addition to the normal powers mentioned above, the Constitution confers extraordinary powers on the President to deal with the following three types of emergencies:

- (a) National Emergency (Article 352);
- (b) President's Rule (Article 356 & 365); and
- (c) Financial Emergency (Article 360)



### आपातकालीन शक्तियां

उपर्युक्त सामान्य शक्तियों के अलावा, संविधान राष्ट्रपति को निम्नलिखित तीन प्रकार की आपात स्थितियों से निपटने के लिए असाधारण शक्तियां प्रदान करता है:

- (क) राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352);
- (ख) राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356 और 365); और
- (ग) वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)



The Emergency provisions are contained in Part XVIII of the Constitution, from Articles 352 to 360.

These provisions enable the Central government to meet any abnormal situation effectively.

आपातकालीन प्रावधान संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद ३५२ से ३६० तक निहित हैं ।

ये प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं।



1.

An emergency due to war, external aggression or armed

rebellion (Article 352)

This is popularly known as 'National Emergency'.

However, the Constitution employs the expression 'proclamation of emergency' to denote an emergency of this type.



1. युद्ध, बाहरी आक्रामकता या सशस्त्र विद्रोह (अनुच्छेद 352) के कारण आपातकाल। इसे 'राष्ट्रीय आपातकाल' के नॉम से जाना जाता है।

हालांकि, संविधान इस प्रकार की आपात स्थिति को निरूपित करने के लिए ' आपातकाल की उद्घोषणा ' की अभिव्यक्ति को नियोजित करता है ।





Originally, the Constitution mentioned 'internal disturbance' as the third ground for the proclamation of a National Emergency, but the expression was too vague and had a wider connotation.

Hence, the 44th Amendment Act of 1978 substituted the words 'armed rebellion' for 'internal disturbance'.



मूल रूप से, संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के लिए तीसरे आधार के रूप में आंतरिक अशांति का उल्लेख किया गया था, लेकिन अभिव्यक्ति बहुत अस्पष्ट थी और इसका व्यापक अर्थ था। इसलिए, 1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम ने आंतरिक अशांति के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्दों को प्रतिस्थापित किया।



Thus, it is no longer possible to declare a National Emergency on the ground of 'internal disturbance' as was done in 1975 by the Congress government headed by Indira Gandhi.

इस प्रकार, अब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना संभव नहीं है जैसा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा १९७५ में किया गया था ।



#### **Parliamentry Approval and Duration**

The proclamation of Emergency must be approved by both the Houses of Parliament within one month from the date of its issue.

Originally, the period allowed for approval by the Parliament was two months, but was reduced by the 44th Amendment Act of 1978.



संसद अनुमोदन और अवधि आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने मुद्दे की तारीख से एक महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।

मूल रूप से, संसद दवारा अनुमोदन के लिए अनुमति दी गई अवधि दो महीने की थी, लेकिन १९७८ के 44 वें संशोधन अधिनियम द्वारा कम कर दिया गया था ।



If approved by both the Houses of Parliament, the emergency continues for six months, and can be extended to an indefinite period with an approval of the Parliament for every six months.

यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो आपातकाल छह महीने तक जारी रहता है और इसे प्रत्येक छह महीने के लिए संसद की मंजूरी के साथ अनिश्चित अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।



Every resolution approving the proclamation of emergency or its continuance must be passed by either House of Parliament by a special majority, that is:

- (a) a majority of the total membership of that house, and
- (b) a majority of not less than two-thirds of the members of that house present and voting.



आपातकाल की उद्घोषणा या उसके जारी रहने को मंजूरी देने वाला प्रत्येक संकल्प संसद के किसी भी सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, अर्थात:

- (क) उस सभा की कुल सदस्यता का बहुमत, और (ख) उस सभा के दो-तिहाई से कम सदस्यों का बहुमत उपस्थित है और मतदान कर रहा है ।

# **Effect on the Fundamental Rights**

Articles 358 and 359 describe the effect of a National Emergency on the Fundamental Rights.


Article 358 deals with the suspension of the Fundamental Rights guaranteed by Article 19, while Article 359 deals with the suspension of other Fundamental Rights (except those guaranteed by Articles 20 and 21).



मौलिक अधिकारों पर प्रभाव अनुच्छेद 358 और 359 मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद ३५८ अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीशुदा मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबिक अनुच्छेद ३५९ अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित हैं (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर)।



Declarations Made So Far This type of Emergency has



JAR 7 Magoriky



2.

An Emergency due to the failure of the constitutional machinery in the states (Article 356).

This is popularly known as 'President's Rule'.

It is also known by two other names—'State Emergency' or 'constitutional Emergency'.

However, the Constitution does not use the word 'emergency' for this situation. (44) = 36



2. राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल (अनुच्छेद 356)।

इसे 'राष्ट्रपति शासन' के नाम से जाना जाता है। इसे दो अन्य नामों से भी जाना जाता है- 'राज्य आपातकाल' या 'संवैधानिक आपातकाल'।

हालांकि संविधान इस स्थिति के लिए आपातकाल शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है।



3. Financial Emergency due to a threat to the financial stability or credit of India (Article 360).



Veto Power of the President

Prohibition (1991)

A bill passed by the Parliament can become an act only if it receives the assent of the President.

When such a bill is presented to the President for his assent, he has three alternatives (under Article 111 of the Constitution):



राष्ट्रपति की वीटो पावर संसद द्वारा पारित विधेयक तभी एक अधिनियम बन सकता है जब उसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए। जब इस तरह के एक विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो उसके पास तीन विकल्प (संविधान के अनुच्छेद १११ के तहत):



- 1. He may give his assent to the bill, or
- 2. He may withhold his assent to the bill, or
- 3. He may return the bill (if it is not a Money bill) for reconsideration of the Parliament.

However, if the bill is passed again by the Parliament with or without amendments and again presented to the President, the President must give his assent to the bill.



- 1. वह बिल के लिए अपनी सहमति दे सकता है, या
- 2. वह बिल के लिए अपनी सहमति रोक सकता है, या
- 3. वह संसद पर पुनर्विचार के लिए विधेयक (यदि यह धन विधेयक नहीं है) को वापस कर सकता है।

तथापि, यदि विधेयक संसद द्वारा संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पुन पारित किया जाता है और फिर से राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देनी चाहिए।



The veto power enjoyed by the executive in modern states can be classified into the following four types:

1.

Absolute veto, that is, withholding of assent to the bill

passed by the legislature.

2.

Qualified veto, which can be overridden by the legislature with a higher majority.



- आधुनिक राज्यों में कार्यकारी द्वारा आनंद लिया वीटो शक्ति निम्नलिखित चार प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है:
- 1. पूर्ण वीटो, अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर सहमति को रोक देना ।
- 2. योग्य वीटो, जो उच्च बहुमत के साथ विधायिका द्वारा अभिभूत किया जा सकता है।





- 3. Suspensive veto, which can be over ridden by the legislature with an ordinary majority.
- 4. Pocket veto, that is, taking no action on the bill passed by the legislature.

Of the above four, the President of India is vested with three—absolute veto, suspensive veto and pocket veto.



- 3. सुस्पेंसिव वीटो, जो एक साधारण बहुमत के साथ विधायिका द्वारा ग्रस्त हो सकता है।
- 4. पॉकेट वीटो, यानी विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

उपरोक्त चार में से भारत के राष्ट्रपति के पास तीन-निरपेक्ष वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो निहित है।



#### **Ordinance-making Power of the President**

Article 123 of the Constitution empowers the President to promulgate ordinances during the recess of Parliament.

These ordinances have the same force and effect as an act of Parliament, but are in the nature of temporary laws.



अध्यादेश बनाने की शक्ति राष्ट्रपति संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है।

इन अध्यादेशों में संसद के एक अधिनियम के समान बल और प्रभाव होता है, लेकिन यह अस्थायी कानूनों की प्रकृति में होता है।

# POWER OF PARDON

Diff/B Pardoning power of President and Governor



## Pardoning Power of the President (Article-72)

- 1. Pardon It removes both the sentence and the conviction and completely absolves the convict from all sentences, punishments and disqualifications.
- 2.Commutation It denotes the substitution of one form of punishment for a lighter form.

For example, a death sentence may be commuted to rigorous imprisonment, which in turn may be commuted to a simple imprisonment.



# राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति (अनुच्छेद-72)

- 1. क्षमा यह सजा और सजा दोनों को हटा देता है और दोषी को सभी वाक्यों, दंड और अयोग्यता से पूरी तरह से मुक्त करता है।
- 2. कम्यूटेशन यह एक हल्के रूप के लिए सजा के एक रूप के प्रतिस्थापन को दर्शाता है।

उदाहरण के लिए, मौत की सजा को कठोर कारावास में बदल दिया जा सकता है, जिसे बदले में साधारण कारावास में बदल दिया जा सकता है।



3. Remission It implies reducing the period of sentence without changing its character.

For example, a sentence of rigorous imprisonment for two years may be remitted to rigorous imprisonment for one year.

3. छट यह अपने चरित्र को बदलने के बिना वाक्य की अवधि को कम करने का तात्पर्य है।

उदाहरण के लिए, दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा को एक वर्ष के लिए कठोर कारावास तक भेजा जा सकता है।



4.

Respite It denotes awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special fact, such as the physical disability of a convict or the pregnancy of a woman offender.

4. राहत यह मूल रूप से कुछ विशेष तथ्य के कारण दिए गए एक के स्थान पर कम सजा देने की दर्शाता है, जैसे किसी दोषी की शारीरिक अक्षमता या महिला अपराधी की गर्भावस्था।



- 5. Reprieve It implies a stay of the execution of a sentence (especially that of death) for a temporary period.
- Its purpose is to enable the convict to have time to seek pardon or commutation from the President.
- 5. राहत यह एक अस्थाई अवधि के लिए एक वाक्य (विशेष रूप से मौत की है कि) के निष्पादन के रहने का तात्पर्य है। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या परिवर्तन प्राप्त करने के लिए समय देना है।

Under Article 161 of the Constitution, the governor of a state also possesses the pardoning power.

Hence, the governor can also grant pardons, reprieves, respites and remissions of punishment or suspend, remit and commute the sentence of any person convicted of any offence against a state law.

संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल के पास क्षमा शक्ति भी है।

इसलिए, राज्यपाल राज्य के कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के दोषी किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, राहत, राहत और छूट या निलंबित, परिहार और लघुकरण भी प्रदान कर सकते हैं।



# But, the pardoning power of the governor differs from that of the President in following two respects:

- 1. The President can pardon sentences inflicted by court martial (military courts) while the governor cannot.
- लेकिन, राज्यपाल की क्षमा शक्ति दो मामलों का पालन करने में राष्ट्रपति से अलग है:
- 1. राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल (सैन्य अदालतों) द्वारा दिए गए वाक्यों को क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते ।



- 2. The President can pardon death sentence while governor cannot.
- Even if a state law prescribes death sentence, the power to grant pardon lies with the President and not the governor.
- 2. राष्ट्रपति मौत की सजा क्षमा कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल नहीं कर सकते ।
- यहां तक कि अगर एक राज्य के कानून मौत की सजा निर्धारित करता है, क्षमा देने की शक्ति राष्ट्रपति और नहीं राज्यपाल के पास है।

SAFALTA CLASS™ Pre soident Term = 1 Pleasure Det Pressident



In the scheme of parliamentary system of government provided by the constitution, the President is the nominal executive authority (de jure executive) and Prime Minister is the real executive authority (de facto executive).

संविधान द्वारा प्रदान की गई सरकार की संसदीय प्रणाली की योजना में, राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यकारी प्राधिकरण (डी ज्यूर कार्यकारी) है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण (वास्तविक कार्यकारी) है।



## **Appointment of the Prime Minister**

The Constitution does not contain any specific procedure for the selection and appointment of the Prime Minister. Article 75 says only that the Prime Minister shall be appointed by the president.

प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया शामिल नहीं है।

अनुच्छेद 75 में केवल इतना कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।



In accordance with the conventions of the parliamentary system of government, the President has to appoint the leader of the majority party in the Lok Sabha as the Prime Minister.

सरकार की संसदीय प्रणाली के अधिवेशनों के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है।



But, when no party has a clear majority in the Lok Sabha, then the President may exercise his personal discretion in the selection and appointment of the Prime Minister.

लेकिन, जब लोकसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर सकता है।



In such a situation, the President usually appoints the leader of the largest party or coalition in the Lok Sabha as the Prime Minister and asks him to seek a vote of confidence in the House within a month.

ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आमतौर पर लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और उन्हें एक महीने के भीतर सदन में विश्वास मत मांगने को कहते हैं।



This discretion was exercised by the President, for the first time in 1979, when Neelam Sanjiva Reddy (the then President) appointed Charan Singh (the coalition leader) as the Prime Minister after the fall of the Janata Party government headed by Morarji Desai.

राष्ट्रपति ने इस विवेक का प्रयोग पहली बार १९७९ में किया था, जब नीलम संजीव रेड्डी (तत्कालीन राष्ट्रपति) ने मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद चरण सिंह (गठबंधन के नेता) को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था।



However, if, on the death of an incumbent Prime Minister, the ruling party elects a new leader, the President has no choice but to appoint him as Prime Minister.

हालांकि, अगर किसी मौजूदा प्रधानमंत्री की मौत पर सत्तारूढ़ दल नए नेता का चुनाव करता है तो राष्ट्रपति के पास उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अलावा कोई चारा नहीं है।



In 1997, the Supreme Court held that a person who is not a member of either House of Parliament can be appointed as Prime Minister for six months, within which, he should become a member of either House of Parliament; otherwise, he ceases to be the Prime Minister.

१९९७ में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, जिसके भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए; अन्यथा, वह प्रधानमंत्री बने रहते हैं।



Constitutionally, the Prime Minister may be a member of any of the two Houses of parliament.

For example, three Prime Ministers, Indira Gandhi (1966), Deve Gowda (1996) and Manmohan Singh (2004), were members of the Rajya Sabha.

In Britain, on the other hand, the Prime Minister should definitely be a member of the Lower House (House of Commons).



संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए तीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (1966), देवगौड़ा (1996) और मनमोहन सिंह (2004) राज्यसभा के सदस्य थे।

दूसरी ओर ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से निचले सदन (हाउस ऑफ कॉमन्स) का सदस्य होना चाहिए।



The term of the Prime Minister is not fixed and he holds office during the pleasure of the president.

However, this does not mean that the president can dismiss the Prime Minister at any time.

So long as the Prime Minister enjoys the majority support in the Lok Sabha, he cannot be dismissed by the President.

However, if he loses the confidence of the Lok Sabha, he must resign or the President can dismiss him.




प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है और वह राष्ट्र<u>पति की प्रसाद पर्यं</u>त पद धारण करते हैं।

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति 2014 में प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं।

जब तक प्रधानमंत्री को लीकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तब तक उन्हें राष्ट्रपति द्वारा बखिस्त नहीं किया जा सकता ।

हालांकि अगर वह लोकसभा का विश्वास खो देते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं।







### **Collective Responsibility**

The fundamental principle underlying the working of parliamentary system of government is the principle of collective responsibility.

Article 75 clearly states that the council of ministers is collectively responsible to the Lok Sabha.



## सामूहिक जिम्मेदारी

सरकार की संसदीय प्रणाली के कार्यशील मौलिक सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है।

अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।



This means that all the ministers own joint responsibility to the Lok Sabha for all their acts of ommission and commission.

They work as a team and swim or sink together.

इसका मतलब यह है कि सभी मंत्रियों के पास अपने सभी कार्यों के लिए लोकसभा की संयुक्त जिम्मेदारी है।

वे एक टीम के रूप में काम करते हैं और तैरते हैं या एक साथ डूबते हैं।







### **Appointment of Governor**

The governor is neither directly elected by the people nor indirectly elected by a specially constituted electoral college as is the case with the president.

He is appointed by the president by warrant under his hand and seal. In a way, he is a nominee of the Central government.



राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल न तो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और न ही अप्रत्यक्ष रूप से विशेष रूप से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं जैसा कि राष्ट्रपति के मामले में है ।

उसके हाथ और मुहर के नीचे वारंट द्वारा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

एक तरह से वह केंद्र सरकार के उम्मीदवार हैं।



But, as held by the Supreme Court in 1979, the office of governor of a state is not an employment under the Central government.

It is an independent constitutional office and is not under the control of or subordinate to the Central government.

लेकिन, जैसा कि 1979 में उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था, किसी राज्य के राज्यपाल का पद केन्द्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है।

यह एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है और यह केन्द्र सरकार के नियंत्रण में या अधीनस्थ नहीं है।



#### Term of Governor's Office

A governor holds office for a term of five years from the date on which he enters upon his office.

However, this term of five years is subject to the pleasure of the President.

Further, he can resign at any time by addressing a resignation letter to the President.



राज्यपाल कार्यालय का कार्यकाल एक राज्यपाल उस तारीख से पांच साल की अवधि के लिए कार्यालय रखता है जिस पर वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है।

हालांकि, पांच साल का यह कार्यकाल राष्ट्रपति की खुशी के अधीन है।

अलावा राष्ट्रपति को इस्तीफा पत्र देकर वह ारा कतई भी इस्तीफा दे सकते हैं।



# The powers and functions of the governor can be studied under the following heads:

- 1. Executive powers.
- 2. Legislative powers.
- 3. Financial powers.
- 4. Judicial powers.



## 1. Executive powers.





He appoints the chief minister and other ministers. They also hold office during his pleasure.

There should be a Tribal Welfare minister in the states of Chattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha appointed by him.

1. वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। वे अपनी प्रसाद पर्यंत पद भी धारण करते हैं। उनके द्वारा नियुक्त छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों में आदिवासी कल्याण मंत्री होनां चाहिए।



#### 2.

He appoints the advocate general of a state and determines his remuneration. The advocate general holds office during the pleasure of the governor.

2. वह किसी राज्य के एंडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है और उसका पारिश्रमिक तय करता है।

एडवोकेट जनरल राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं।



3.

He appoints the state election commissioner and determines his conditions of service and tenure of office. However, the state election commissioner can be removed only in like manner and on the like grounds as a judge of a high court.

3. वह राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं और उनकी सेवा शर्तों और पद के कार्यकाल का निर्धारण करते हैं।

हालांकि, राज्य चुनाव आयुक्त को केवल समान तरीके से और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में समान आधार पर हटाया जा सकता है।



4.

He appoints the chairman and members of the state public service commission.

However, they can be removed only by the president and not by a governor.

4. वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। हालांकि, उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है न कि किसी राज्यपाल द्वारा।



# 2. Legislative powers.



A governor is an integral part of the state legislature. In that capacity, he has the following legislative powers and functions:

1. He can summon or prorogue the state legislature and dissolve the state legislative assembly.

एक राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग है। उस क्षमता में, उसके पास निम्नलिखित विधायी शक्तियां और कार्य हैं:

1. वह राज्य विधानमंडल को बुला सकता है या उसका प्रस्ताव कर सकता है और राज्य विधान सभा को भंग कर सकता है।



- 2. He can address the state legislature at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year.
- 2. वह प्रत्येक आम चुनाव और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में राज्य विधानमंडल को संबोधित कर सकते हैं।



- 3. He nominates one-sixth of the members of the state legislative council from amongst persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art, cooperative movement and social service.
- 3. वह साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के बीच से राज्य विधान परिषद के सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है।



4. He can nominate one member to the state legislature assembly from the Anglo-Indian Community.



5.He can promulgate ordinances when the state legislature is not in session.

These ordinances must be approved by the state legislature legislature within six weeks from its reassembly.

5. जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं होता है तो वह अध्यादेश ों को प्रख्यापित कर सकता है।

इन अध्यादेशों को राज्य विधानमंडल द्वारा अपनी पुनर्विधानसभा से छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए।



## **Financial Powers**

The financial powers and functions of the governor are:

- 1. He sees that the Annual Financial Statement (state budget) is laid before the state legislature.
- वित्तीय शक्तियां राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां और कार्य हैं:
- 1. वह देखता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट) राज्य विधानमंडल के सामने रखा गया है।



## 2. Money bills can be introduced in the state legislature only with his prior recommendation.

- 3. No demand for a grant can be made except on his recommendation.
- 2. राज्य विधानमंडल में केवल उनकी पूर्व सिफारिश के साथ ही धन विधेयक पेश किए जा सकते हैं।
- 3. उनकी सिफारिश को छोड़कर अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है।



4. He can make advances out of the Contingency Fund of the state to meet any unforeseen expenditure.

5. He constitutes a finance commission after every five years to review the financial position of the panchayats and the municipalities

and the municipalities 4. वह किसी भी अप्रत्याशित खर्च को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम कर सकता है।

5. वह पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर पांच साल के बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है।



## **Judicial Powers**

The judicial powers and functions of the governor are:

1.

He can grant pardons, reprives, respites and remissions of punishment or suspend, remit and commute the sentence of any person convicted of any offence against any law relating to a matter to which the executive power of the state extends.




न्यायिक शक्तियां राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां और कार्य हैं:

वह किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के दोषी किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, फटकार, राहत, राहत, राहत और छूट या निलंबित, परिहार और लघुकरण कर सकता है, जिसके लिए राज्य की कार्यकारी शक्ति फैली हुई है।









The Supreme Court of India was inaugurated on January 28, 1950.

It succeeded the Federal Court of India, established under the Government of India Act of 1935.

However, the jurisdiction of the Supreme Court is greater than that of its predecessor.

This is because, the Supreme Court has replaced the British Privy Council as the highest court of appeal.



भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को किया गया था।

यह भारत के संघीय न्यायालय, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत स्थापित सफल रहा।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक है। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को सर्वोच्च अपील अदालत के रूप में बदल दिया है।



124.	Establishment and Constitution of Supreme Court
124A.	National Judicial Appointments Commission
124B.	Functions of Commission
124C.	Power of Parliament to make law
125.	Salaries, etc., of Judges
126.	Appointment of acting Chief Justice
127.	Appointment of ad hoc Judges
128.	Attendance of retired Judges at sittings of the Supreme Court

0ri9 =1(8)

• There are currently 32 judges (including the Chief Justice of India) and maximum possible strength is 34.

• Originally, the strength of the Supreme Court was fixed at eight (one chief justice and seven other judges).



